

#### Link Life with Law

#### ?:773 774 6465 www.LinkingLaws.com

#### **RJ APO 2011**

- Who among of the following is not a "public servant" according to section 21 of the Indian Penal Code 1860? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है ?
  - (a) Chief Minister and Prime Minister / मुख्य मंत्री व प्रधान
  - (b) Judge and Magistrate / न्यायाधीश व मैजिस्ट्रेट
  - (c) Government servant appointed on deputation / पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी
  - (d) Principal of Government college / राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य

Ans. [c]

- In which section of the Indian Penal Code, 1860, 2. the principle of "Expiatory theory" of punishment has been incorporated? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की कौन-सी धारा में दण्ड विधि का "प्रायश्चित सिद्धान्तं " समाया हुआ
  - (a) Section 70 / धारा 70 में
  - (b) Section 71 / धारा 71 में
  - (c) Section 75 / धारा 75 में
  - (d) Section 73 and 74 / धारा 73 व 74 में

Ans. [d]

- 3. Which of the following sections is not the section of Joint and constructive liability under Indian Penal Code 1860 ?/ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की निम्न में से से सम्बन्धित नहीं है ?
  - (a) Section 34, 35 and 37/ धारा 34, 35 व 37
  - (b) Section 36 / धारा 36
  - (c) Section 141, 149, 396, 460 /धारा 141, 149, 396, 460
  - (d) Section 111, 117, 120B / धारा 111, 117, 120ख

Ans. [b]

- "A". soldier fires on the silent mobe by order of 4. his superior officer in conformity with the commands of the law, due to which "C" dies. Here "A" /कौन-सी धारा संयुक्त व आन्वयिक दायित्व विधि के समानुदेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक 'अ' एक शान्त भीड़ पर गोली चलाता है जिससे "स" नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है यहाँ "अ"
  - (a) Will not be liable according to section 76 of the Indian Penal Code 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 76 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा
  - (b) Will not to be liable according to section 79 of the Indian Penal Code 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 79 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा
  - (c) Will be liable under section 304 of the Indian Penal Code 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 के अनुसार उत्तरदायी होगा
  - (d) Will be liable under section 307 of the Indian Penal Code 1860/ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 307 के अनुसार उत्तरदायी होगा

Ans. [c]

- In which of the following offences the benefit of section 85 of the Indian Penal Code 1860 will not be given to the accused person, namely offences under? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 के निम्न में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जायेगा
  - (a) Section 323, 325, 340 & 355 / धारा 323, 325, 340 व
  - (b) Section 272, 279, 292 & 294/ धारा 272, 279, 292 व
  - (c) Section 312, 300, 376, 497, 498 & 361/ धारा 312, 300, 376, 497, 498 व 361
  - (d) Section 295, 296, 297 &298/ धारा 295, 296, 297 व

Ans. [b]

- 6 In which of the following offences under Indian Penal Code 1860, the benefit of section 91 will not be given to the accused person ? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों के सन्दर्भ में धारा 91 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जायेगा?
  - (a) Section 360, 361, 366, 366(A) / धारा 360, 361, 366, 366 (ए) ਸੇਂ
  - (b) Section 312, 360, 361, 366, 497 and 498 / धारा 312, 360, 361, 366, 497 व 498 में
  - (c) Section 497, 498 and 494 / धारा 497, 498 व 494 में
  - (d) Section 120(B), 124 and 160 / धारा 120 (ख), 124 व 160 में

Ans. [\*]

- "A" young girl dies due to accident and her dead body was lying on the road side. "B" committes sexual intercourse with the body of "A". "B" in this case will - /"अ" एक जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तथा उसका शव सड़क के किनारे एक कोने में पड़ा है । भावावेश में आकर "ब" उसके साथ शारीरिक सम्पर्क करता है। यहाँ "ब"
  - (a) Not be liable for any offences under Indian Penal Code 1860 / भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है
  - (b) Will be liable for the offence of rape under Indian Penal Code 1860 /भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग अपराध के लिए उत्तरदायी होगा
  - (c) Will be liable for rape as well as under section 297 of the Indian Penal Code 1860 / भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग तथा धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा
  - (d) Will be liable under section 297 of the Indian Penal Code, 1860 /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा

Ans. [d]



Scan this

QR Code to





### ( : 773 774 6465 www.LinkingLaws.com

e E

- 8 "Culpable homicide" amounts to murder under section 300 of the Indian Penal Code, 1860 when? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 300 के अन्तर्गत " अपराधिक मानववध" का अपराध " हत्या" के अपराध में परिवर्तित हो जाता है
  - (a) An act is done with intention to cause death / जब मृत्यु करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है
  - (b) The act is done with intention to cause death / जब मृत्यु करने के आशय से वह कार्य किया जाता है
  - (c) Act is done with the knowledge to cause death / जब मृत्यु करने के आशय से, इस ज्ञान से कि मृत्यु हो जायेगी, कार्य किया जाता है
  - (d) Any act is done with intention to cause death / जब मृत्यु करने के आशय से कोई ऐसी बात करके, कोई कार्य किया जाता है

Ans. [b]

- A and B both were travelling on an aeroplane. When the aeroplane was flying at the height of 30,000 feets, A, forcibly throws B outside the aeroplane. Consequently "B" dies falling on the tree. Here "A" will be liable under which section of the Indian Penal Code, 1860? / "अ" तथा "ब" एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था तब "अ" ने "ब" को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया। इसके फलस्वरूप "ब" एक पेड़ पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गयी। "अ" यहाँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की किस धारा के अन्तर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा?
  - (a) Section 302 / धारा 302 में
  - (b) Section 299 / धारा 299 में
  - (c) Section 301/ धारा 301 में
  - (d) Section 304(A) / धारा 304 (A) में

Ans. [a]

- 10. A person may be responsible for the theft of his own property under section 379 of the Indian Penal Code 1860, when he has given his property to other as a / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 379 में कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने वह सम्पत्ति अन्य को दी हो :
  - (a) Bailment and use/ निक्षेप व प्रयोग हेत्
  - (b) Gift and trust / दान एवं न्यास के रूप में
  - (c) Security / प्रतिभूति हेतु
  - (d) Bailment, gift, repair and use / निक्षेप, दान, मरम्मत अवं प्रयोग हेत्

Ans. [c]

11 Under Indian Penal Code 1860, an attempt to commit offences is sometimes punishable with the same punishment which has been prescribed for committing the main offences. Under which sections it has been provided ? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अपराध करने का प्रयत्न भी कहीं कहीं मुख्य अपराध करने हेतु विहित दण्ड के बराबर ही दण्ड से दण्डित किया जाता है। ऐसा निम्न में से किस धारा में है ?

- (a) Section 388, 389, / धारा 388 व 389 में
- (b) 397 and 398/ धारा 397 व 398 में
- (c) Section 388 and 389 Section 397 and 398 / धारा 388, 389, 397 व 398 में
- (d) Section 511 / धारा 511 में

Ans. [b]

- 12 Which of the following offences under Indian Penal Code 1860 relates with the mind, reputation, body and property ? / भारतीय दण्ड संहिता 1860 में निम्न में से कौन-सा ऐसा अपराध हैं जो शरीर, मन, ख्याति तथा सम्पत्ति से भी सम्बन्धित है ?
  - (a) Cheating/ छल का अपराध
  - (b) Tresspass / अतिचार का अपराध
  - (c) Mischief / रिष्टि का अपराध
  - (d) Defamation / मानहानि का अपराध

Ans. [a]

- 13 'A' cut down tree on B's land with intention to take away that tree without B's consent. A has committed the offence of / 'अ' 'ब' की जमीन पर बिना 'ब' की सहमति के इस नियत से पेड़ काटता है कि वह उसे दूर ले जाये। 'अ' ने अपराध किया है
  - (a) Criminal misappropriation of property / सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
  - (b) Theft as soon as tree was cut down and severed from ground / चोरी, ज्यों ही उसने पेड़ को काट दिया और जमीन से अलग कर दिया
  - (c) No offence until the tree is taken away / कोई अपराध नहीं किया जब तक वह पेड़ को उठाकर ले नहीं जाता
  - (d) Criminal breach of trust. / आपराधिक न्यास भंग

Ans. [b]

- 14 'A' and 'B' agreed to commit theft in C's house but no theft was actually committed. They have committed the offence of / 'अ' और 'ब' 'स' के मकान में चोरी करने के लिये सहमत हो जाते है लेकिन वास्तव में चोरी करते नहीं है। उन्होंने अपराध किया है
  - (a) Criminal conspiracy / आपराधिक दुस्संधी
  - (b) Abetment by conspiracy /दुस्संधी द्वारा उत्प्रेरण
  - (c) Abetment by instigation / उकसावे द्वारा उत्प्रेरण
  - (d) No offence /कोई अपराध नहीं

Ans. [a]

- 15 Which one of the following statements correctly defines the offence of 'criminal breach of trust' ? / निम्न में से कौन सा कथन आपराधिक न्यास, भंग के अपराध को सही तरीके से परिभाषित करता है
  - (a) Whoever dishonestly misappropriates any property for his own use, is guilty of criminal breach of trust. / कोई भी व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है. आपराधिक न्यास भंग का दोषी है।



0s

O D Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



### **(**):773 774 6465 www.LinkingLaws.com



Link Life with Law

- (b) Whoever uses any movable property in violation of law or legal contract commits criminal breach of trust. / कोई भी व्यक्ति जो चल सम्पत्ति का उपयोग विधि के अतिक्रमण अथवा वैधिक संविदा के अतिक्रमण में करता है. आपराधिक न्यास भंग का दोषी है।
- (c) Whoever is entrusted with the dominion of property dishonestly converts it as his property is quilty of criminal breach of trust. / कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सम्पत्ति को सौंपा गया है वह बेईमानी से उसे अपनी सम्पत्ति में बदल लेता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है
- (d) Whoever willfully refuses to return property to the owner is guilty of criminal breach of trust / कोई भी व्यक्ति किसी की सम्पत्ति वापस करने को मना करता है. आपराधिक न्यास भंग का दोषी है.

Ans. [c]

- 16 'A' sees 'B' drowning, but does not save him. 'B' is drowned : 'A' has committed / 'अ' 'ब' को डुबते हए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है । 'ब' डूब जाता है । 'अ' ने कारित किया है
  - (a) The offence of abetment of suicide / आत्म हत्या के लिए उकसाने का अपराध
  - (b) The offence of murder / हत्या का अपराध
  - (c) No offence / कोई अपराध नहीं किया
  - (d) The offence of culpable homicide not amounting to murder/ हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध

Ans. [c]

- 17 'A' with the intention of murdering 'B' instigates 'C', a lunatic to give poison to 'B', 'C' instead of giving it to 'B' takes poison himself. Here, in this case / 'अ' 'ब' की हत्या की नियत से 'स', जो एक पागल है को, 'ब' को जहर देने के लिये उकसाता है । 'स' उसे 'ब' को देने के बजाय स्वयं जहर खा लेता है । यहाँ :
  - (a) 'A' is not quilty as 'B' a lunatic cannot be an offender in the eyes. of law. / 'अ' दोषी नहीं है क्योंकि 'ब' जो पागल है विधि की नजर में अपराधी नहीं हो सकता ।
  - (b) 'A' is guilty of causing death of lunatic only./ 'अ' सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्याकारित करने का दोषी है।
  - (c) 'A' is guilty of abetment. / 'अ' उकसाने का दोषी है।
  - (d) None of the above / उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans. [c]

- 18 Under section 299 of Indian Penal Code the connection between the act and death caused must be /भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के तहत किये गये कार्य और मृत्यु कारित होने के बीच सम्बन्ध होना चाहिये
  - (a) Indirect / अप्रत्यक्ष
  - (b) Direct /प्रत्यक्ष
  - (c) Both (1) and (2) / दोनों (1) और (2)
  - (d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [b]

- Sexual intercourse by a man with his own wife is rape, if the wife is below.... एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी से किया गया मैथून बलात्कार है अगर पत्नी की उम्र से कम है
  - (a) 16 years of age / 16 वर्ष
  - (b) 18 years of age / 18 वर्ष
  - (c) 19 years of age / 19 वर्ष
  - (d) 15 years of age /15 वर्ष

Ans. [d]

- The offence of "tresspass" under the Indian Penal Code 1860 basically an offence against the - / भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन "अतिचार" का अपराध मुख्यतः निम्न में से किसके विरुद्ध किया गया कार्य है ?
  - (a) Ownership/ स्वामित्व के विरुद्ध
  - (b) Possession/ कब्जे के विरुद्ध
  - (c) Reputation / ख्याति के विरुद्ध
  - (d) Privacy and Possession /एकान्तता एवं कब्जे के विरुद्ध

Ans. [b]

- Which of the following characteristics is considered as the unique feature of / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भत व अद्वितीय विशेषता इन निम्न में से किसे कहा जाता है ?
  - (a) Separation of executive from judiciary कार्यपालिका का न्यायपालिका के पृथक्करण
  - (b) Accused person himself as a competent witness अभियुक्त स्वयं एक सक्षम साक्षी के रूप में
  - (c) Set off the period of detention undergone by the accused during investigation, enquiry on trial against the term of imprisonment imposed on him on such conviction. अभियुक्त द्वारा अन्वेषण जाँच या विचारण के दौरान दोषसिद्धि की तारीख से पहले भोगी गयी निरोध की अवधि का दोषसिद्धि पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाना ।
  - (d) Speediar trial शीघ्र विचारण।

Ans. [\*]

- A Magistrate of the first class may award a sentence of imprisonment under Code of Criminal Procedure, 1973 up to the period of/ प्रथम वर्ग मैजिस्टेट का न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्न में से कितनी कारावास की सजा दे सकता हैं ?
  - (a) three years according to section 29. /धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक की
  - (b) three and half years according to section 30. / धारा 30 के अनुसार 3 वर्ष व 6 मास की
  - (c) four years according to section 31./ धारा 31 के अनुसार 4 वर्ष की
  - (d) six years according to section 31 cl (2) (b) /धारा 31 क्लॉज 2 परन्तुक ( ख ) के अनुसार 6 वर्ष की

Ans. [\*]

Scan this

QR Code to







## ©:773 774 6465 www.LinkingLaws.com



Ans. [a]

23 "Even a "man" if necessary due to circumstarices may arrest a "woman" during day-light". It was laid down in which of the following cases? / "एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता हैं।" यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था ?

- (a) State of Maharashtra Vs. Christian Community Welfare Council, 2004 SC and Raj Kumari Vs. S. H.O. NOIDA, 2003 SC. / महाराष्ट्र राज्य ब. क्रिश्चयन कम्यूनिटी वेलफेयर कौंसिल, 2004 सु. को. में तथा राजकुमारी ब. एस.एच.ओ. / नोएडा, 2003 सु.को. में
- (b) Joginder Singh Vs. State of U.P., 1994 SC./ जोगिन्दर सिंह ब. उ. प्र. 1994 स्.को. में
- (c) Neeraj Sharma Vs. State of U.P., 1993 SC. / नीरज शर्मा ब. उ.प्र. 1993 सु.को. में
- (d) Raj Kumari Vs. S.H.O. NOIDA, 2003 SC. / राजकुमारी ब. एस.एच.ओ. नोएडा, 2003 स्.को. में

Ans. [\*]

- 24 Now the identification parade of an arrested person may be conducted under / अब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्यवाही निम्न में से किस विधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं ?
  - (a) Under section 9 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के अनुसार
  - (b) Under section 54 (A) of the Code of Criminal Procedure, 1973. / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54- क के अनुसार
  - (c) Under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973. / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार
  - (d) Under section 9 of the Evidence Act, 1872 with section 157 of the Code of Criminal Procedure 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार

Ans. [b]

- 25 A 'Habitual offender' within the meaning of section 110 of the Code of Criminal Procedure 1973, is a person, / एक " अभ्यासिक अपराधी", धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है
  - (a) Who has committed offences mentioned under section 110, and the record of commission of more than two offences is available against him. / जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में दो से अधिक अपराध किये जाने का अभिलेख उपलब्ध हो ।
  - (b) Who habitually commits offences. / जो अभ्यासतः अपराध करता है।
  - (c) Who habitually remains in the company of persons who commits offences. / जो अभ्यासतः उन व्यक्तियों के साथ रहता जो अपराध करते हैं।
  - (d) Who habitually deals with the persons who are habitual offenders. / जो उन व्यक्तियों से व्यवहार करता है जो अभ्यासतः अपराधी हैं।

26 A "wife" is not entitled to get maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973, if she is / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में एक पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती हैं यदि वह

(a) living in adultery. / जारता में रह रही हैं

- (b) living separate on unreasonable grounds and on insufficient reasons./ अनुचित एवं अपर्याप्त कारणों के आधार पर पृथक रह रही हैं।
- (c) refuses to live with her husband, and living separately by mutual consent. / पति के साथ रहने से मना कर देती है तथा पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हैं।
- (d) living in adultery, living separate on insufficient grounds or by mutual consent or converted to other religion other than Hindu religion. / जारता में रह रही हो, पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही हो या पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो या हिन्दू धर्म को छोड़ कर अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो।

Ans. [\*]

- 27" A First Information Report may be lodged by way of telephone also." It was laid down in which of the following case, namely / "एक प्रथम इत्तिला सूचना' टेलीफोन से भी दर्ज करायी जा सकती है" । यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गयी थी, मुख्यत ?
  - (a) Tapinder Singh Vs. State, 1970 S.C. /तपिन्दर सिंह बनाम राज्य, 1970 स्.को. में
  - (b) Sakha Rao Vs. State, 1969 S.C. / संखाराव बनाम राज्य, 1969 स्.को. में
  - (c) Damodar Vs. State of Rajasthan, 2003 S.C. / दामोदर बनाम राजस्थान राज्य, 2003 सु.को. म
  - (d) Sunil Vs. State, 1997 S.C. / सुनील बनाम राज्य, 1997 स्.को. में

Ans. [\*]

- 28 The foundation of investigation under Code of Criminal Procedure 1973 is: / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है ?
  - (a) Complaint /परिवाद को।
  - (b) Report or information by a third person for commission of offence / अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना या रिपोर्ट को जो अपराध के किये जाने के बारे में है।
  - (c) First information report /प्रथम इत्तिला सूचना को
  - (d) News paper's report / सामाचार पत्र की सूचना को ।

Ans. [c]

29. Under section 160 of the Code of Criminal Procedure 1973, a woman witness may be called to give information of commission of a crime at other place than her residence also if it is necessary in the interest of justice and prior permission from magistrate. has been taken in this regard. It was laid down in : / दण्ड प्रक्रिया संहिता

Scan this

QR Code to

**Linking Laws BIOs** 

## ©: 773 774 6465 www.LinkingLaws.com



1973 की धारा 160 में "एक स्त्री" को भी जिसे किसी अपराध के बारे में जानकारी है, उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बुलाकर परीक्षा की जा सकती है यदि मैजिस्ट्रेट से इस सन्दर्भ में पूर्वाज्ञा ले ली हो तथा ऐसा किया जानान्या य के हित में आवश्यक हो, यह कहा गया था:

- (a) Kamlanatha Nath Vs. State of Tamil Nadu, 2005 S. C. / कमलान्था नाथ बनाम तमिलनाडू राज्य 2005 स्.को में
- (b) Ravi Vs. State of Bihar, 2007 S. C. / रवि बनाम बिहार राज्य, 2007 स्.को. में
- (c) Sidhartha Vs. State of Bihar, 2005 S. C./ सिद्धार्थ बनाम बिहार राज्य, 2005 स्.को. में
- (d) Ramesh Kumari Vs. State of Delhi 2006 S. C./ रमेश कुमारी बनाम दिल्ली राज्य 2006 स्.को. में

Ans. [a]

- 30. Statements of any person may be recorded even at the stage of investigation by administering, oath of such person by the magistrate. Under which provision of the / किसी व्यक्ति के कथनों को मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है। ऐसा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि किस धारा में किया जा सकता है?
  - (a) under section 161 Code of Criminal Procedure, 1973. it has been provided:
  - (b) under section 164 clause (5) / धारा 164 क्लॉज
  - (c) under section 162 / धारा 162 के अन्तर्गत
  - (d) under section 273 / धारा 273 के अन्तर्गत

Ans. [b]

- 31· For the purpose of section 167 of the Code of Criminal Procedure 1973, the most essential requirement is that the arrested person : / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को
  - (a) Should not necessarily be produced physically for the first time. / प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः प्रस्तुत नहीं किया जाना ।
  - (b) Should be produced first time through the medium of electronic video-linkage./ प्रथम बार इलेक्ट्रोनिक विडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना
  - (c) Should be produced in person for the first time./ प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना ।
  - (d) Should be produced in person for the first time, and subsequently through the medium of electronic-Video-Linkage according the direction of Magistrate / प्रथम बार व्यक्तिगत प्रस्तुत किया जाना तत्पश्चात् मैजिस्ट्रेट की इच्छानुसार इलेक्ट्रोनिक विडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना।

Ans. [d]

32. The police - diary under section 172 of the code of criminal Procedure 1973 is used for which of the following things? दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि धारा 172 में

पुलिस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है ?

- (a) for collection of evidences/साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए
- (b) for recording of statements of witnesses / साक्षीयों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए
- (c) for aid in enquiry or trial to the court / जाँच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए।
- (d) for aid in investigation to the police. / अन्वेषण में पुलिस की सहायता करने के लिए।

Ans. [c]

- 33. A Session Judge, during session trial, may judgement order acquittal of the accused person, even before pronouncing judgement under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973 / सेशन विचारण में सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति का आदेश, निर्णय सुनाये जाने से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अन्तर्गत कर सकता है ?
  - (a) Under section 227 / धारा 227 में
  - (b) Under section 235 / धारा 235 में
  - (c) Under section 233 / धारा 233 में
  - (d) Under section 232/ धारा 232 में

Ans. [d]

- 34 For application of the provision of pleabargaining, under Code of Criminal Procedure, 1973 the most important thing which is required is that it should relate with the offences दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिभावक चर्चा के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वह मामला संबंधित होना चाहिये ऐसे अपराधों से जो
  - (a) Punishable with less than 7 years imprisonment and accused should not be previously convicted. / 7 वर्षो से कम के कारावास से दण्डनीय हो व अभियुक्त प्रथम अपराधी हो
  - (b) Punishable with death but not against women. / मृत्यू दण्ड से दण्डनीय हो किन्तू स्त्रियों के विरूद्ध न हो ।
  - (c) Punishable with life imprisonment but not against child below the age of 14 years. / आजीवन कारावास से दण्डनीय हो किन्तु 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरूद्ध न हो ।
  - (d) Punishable with death; life imprisonment, more than 7 years imprisonment, against women, socio-economics conditions of the country, or child below 14 years. / मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास, सात वर्षों से अधिक के कारावास, स्त्री, 14 वर्ष से कम आयु के बालक, देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति के विरूद्ध न हो।

Ans. [a]

85 From Judicial custody" an accused person, may be given to police custody up to 15 days according to which section of the Code of Criminal Procedure, 1973 न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन तक







 : 773 774 6465 www.LinkingLaws.com

Link Life with Law

की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है । दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि निम्न में से किस धारा के अधीन यह संभव है ?

- (a) Section 482 / धारा 482 में
- (b) Section 167 / धारा 167 में
- (c) Section 309 explanation 1 /धारा 309 स्पष्टीकरण 1 में
- (d) Section 386 / धारा 386 में

Ans. [\*]

- 36 For the purpose of enquiring or trying offences, a criminal court shall be deemed to open court. But even a court in criminal cases are not treated as an open court under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973: / अपराध की जाँच या विचारण के प्रयोजन से कोई भी दण्ड न्यायालय खुला न्यायालय समझा जायेगा । किन्तु अपराधिक न्यायालय होते हुए भी कब एक दण्ड न्यायालय खुला नहीं समझा जायेगा। यह निम्न में से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा में दिया हआ है ?
  - (a) Section 327 / धारा 327 में
  - (b) Section 326/ धारा 326 में
  - (c) Section 320 / धारा 320 में
  - (d) Section 319/ धारा 319 में

Ans. [a]

- **37**. "Victim compensation scheme " under section 357 - (A) of the Code of Criminal Procedure 1973, has been introduced by which of the following Amendment Act ? / "आहतं प्रतिकर योजना" दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (क) में किस संशोधन अधिनियम से जोड़ी गयी है ?
  - (a) By the Act 25 of 2005 / एक्ट 25 के 2005 के संशोधन से
  - (b) By the Act 5 of 2009 / एक्ट 5 के 2009 संशोधन से
  - (c) By the Act 45 of 1978 / एक्ट 45 के 1978 संशोधन से
  - (d) By the Act 2 of 2006 / एक्ट 2 के 2006 संशोधन से

Ans. [b]

- Which of the following things "an appellate court, 38 while disposing of an appeal under Code of Criminal Procedure 1973, not empowered to do? / एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य करने की शक्ति नहीं हैं ?
  - (a) Can not enhance the punishment without providing an opportunity to the accused, to show cause against such enhancement. - / दण्ड में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो ।
  - (b) Can not inflict greater punishment than the trial court was competent to award,/ उससे अधिक दण्ड नहीं दे सकता जो अपीलाधिन आदेश पारित करने वाले न्यायालय . द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था।
  - (c) Can not enhance the punishment, when an accused has preferred appeal against his enhanced punishment to is. / जल अभियुक्त ने दण्ड की

अधिकता के विरूद्ध में अपील की है तो उसे और नहीं बढाया जा सकता उसे, ज्यों को त्यों तो रख सकता है।

(d) All of the above / उपरोक्त सभी कार्य।

Ans. [d]

- 39 Death sentence of an accused may be commuted to fine also by the appropriate government under which provision of law / किसी अभियुक्त की मृत्यु दण्ड के कारावास की सजा को समुचित सरकार के द्वारा केवल जुर्माने में भी लघुकरण किया जा सकता है। यह किस विधि के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है ?
  - (a) under section 54 of the Indian Penal Code, 1860. / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 54 के अनसार ।
  - (b) under article 72 and 161 of the Constitution. / भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 व 161 के अनुसार ।
  - (c) According to section 53 of the Indian Penal Code 1860 and section 433(A) of the Code of Criminal Procedure 1973. / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 53 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 (क) के अनुसार
  - (d) under section 432 of the Code of Criminal Procedure 1973./ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के अनुसार

Ans. [a]

- While exercising inherent powers under section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973, even the High Court cannot do which of the following things: / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अन्तर्गत प्रदत्त अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हए भी एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता ?
  - (a) To give police-custody from judicial custody. / न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा देने का
  - (b) To convert itself into a court of appeal when legislature has not authorized it expressly or indirectly. / अपने आपको अपील न्यायलय में परिवर्तित नहीं कर सकता जब विधायिका ने उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधिकृत
  - (c) To review its own judgement or order / अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का
  - (d) All the above things. / उपरोक्त सभी

Ans. [d]

- Which of the following "Law" is considered as the basis of Indian Evidence Act 1872 निम्न में से कौन सी "विधि" को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना
  - (a) Law of place where act was done or offence was committed /उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था।
  - (b) Law of the place where investigation or enquiry was conducted / उस स्थान का कानून जहां जांच या पूछताछ की गई थी







#### ?:773 774 6465 www.LinkingLaws.com



- (c) Law of the place where solution was found by the parties/ उस स्थान की विधि जहाँ पक्षों ने अपना समाधान ढूँढा
- (d) Law of the place where proceedings have to be initiated in a case / (Lex Fori). उस स्थान की विधि जहाँ किसी मामले में कार्यवाहियाँ की जानी है (लेक्स फोरी )।

- The term "Court" used under Indian Evidence Act 42 1872 includes - भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रयुक्त "न्यायालय" शब्दे में सम्मिलित होते है
  - (a) All judges but not magistrates. / सभी न्यायाधीश किन्तु मैजिस्टेट नहीं
  - (b) All magistrates but not judges./ सभी मैजिस्ट्रेट किन्तु न्यायाधीश नहीं
  - (c) All judges, magistrates, persons arbitrators, legally authorized to take evidence./ सभी न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट, व्यक्ति, मध्यस्थ को छोड़ कर जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।
  - (d) All enquiry and investigation officers and arbitrators legally authorized to take evidence. / सभी अन्वेषण व जाँच अधिकारी व मध्यस्थ जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।

Ans. [c]

- 43 Facts showing existence of state of mind or body or bodily feelings of a person are relevant under which of the following Acts? / किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य निम्न में से किस अधिनियम में सार्थक होते है ?
  - (a) under section 280 of the Code of Criminal Procedure 1973. / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 280
  - (b) under order 18 Rule 12 of the Code of Civil Procedure 1908. / दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 12 में
  - (c) under section 14 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में
  - (d) under all the above sections and Acts. / उपरोक्त सभी धाराओं व अधिनियमों में ।

Ans. [c]

- Under section 13 of the Indian Evidence Act., 1872 "any transaction" or "particular instances" is relevant for explaining the existence of any right or custom, but not relevant for explaining the existence of a crime. This statement of law was laid down in: / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 में "अधिकार" अथवा 'रूढ़ि' को स्पष्ट करने हेतु कोई "सव्यवहार" या "विशिष्ट उदाहरण" सुसंगत होते हैं किन्तु ये किसी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था ?
  - (a) Gurdit Singh Vs Smt. Angrej Koer 1968 S.C. / गुरूदीत सिंह बनाम श्रीमती अंग्रेज कोर, 1968 सु.को. में

- (b) Suraj Mani Vs Durga Charan, 2001 S.C. / सूरजमनी बनाम दुर्गाचरण, 2001 सु.को. में
- (c) Anandi Bai Vs Raja Ram, 1973 Raj. / आनन्दी बाई बनाम राजाराम, 1973 राज. में
- (d) Shakuntla Vs Amar Nath, 1982 Punjab And Haryana / शकुन्तला बनाम अमरनाथ, 1982 पंजाब व हरियाणा

Ans. [b]

- Which of the following case was decided on the basis of "tears from eyes" evidence of a women, namely ? निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की "आँख के आँसुओं" के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था ?
  - (a) State of Rajasthan Vs Smt. Kanuri Devi, 1998 Rajasthan / राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कनूरी देवी, 1998 राज का
  - (b) Shamim Rehmani Vs State of U.P., 1975 S.C. / शमीम रहमानी बनाम उ. प्र. राज्य, 1975 सु. को. का
  - (c) K.M. Nanawati Vs State of Maharashtra, 1961 S.C. / के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1961 स्. को. का
  - (d) Palvinder Koer Vs State of Puniab, 1952 S.C. / पलविन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य, 1952 स्. को. का

Ans. [a]

- 46 An admission is relevant even in favour of the person who made it when it falls within the ambit of- / एक स्वीकृति, स्वीकृता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति
  - (a) Section 18 of the Indian Evidence Act, 1872. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 में आती है।
  - (b) Section 31 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 31 में आती है।
  - (c) Section 20 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है।
  - (d) Section 21 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 20 में आती है।

Ans. [c]

- "Extra judicial confession" has been provided under which of the following Act, namely ? / "न्यायेत्तर संस्वीकृति" का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम में किया गया है
  - (a) under section 163 of the Code of Criminal Procedure, 1973. / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 163
  - (b) under section 29 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 29 में
  - (c) under section 281 of the Code of Criminal Procedure 1973. / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 281
  - (d) under section 30 of the Indian Evidence Act, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 में

Ans. [b]




Scan this

QR Code to







(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



# ©:773 774 6465 www.LinkingLaws.com



- 48 The latest trend of courts regarding the admissibility and relevancy of Dying Declaration in India is that / "मृत्यु कालिक कथन" की सुसंगतता के बारे में भारतीय न्यायालयों में आधुनिक विचारधारा यह है कि
  - (a) It must be recorded by the Magistrate under section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973. / यह धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन मैजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की जानी चाहिये।
  - (b) It must be recorded before the police under section 162 of the Code of Criminal Procedure, 1973. / यह धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में पुलिस के सामने अभिलिखित होनी चाहिये।
  - (c) It should be corroborated from other evidences. / यह अन्य साक्ष्यों से सन्तुष्ट होनी चाहिये
  - (d) It shoud be made before the magistrate under section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973 and must be corroborated from other evidence too. / यह धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में मैजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित तथा अन्य साक्ष्यों से सम्पुष्ट की जानी चाहिये।

Ans. [c]

- 49 Since section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 does not define, an "Expert". Hence, even a "Student" may also be treated as an expert. This view was laid down in / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में "विशेषज्ञ" की परिभाषा नहीं दी गयी है। अतः एक "विद्यार्थी" भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा निम्न में किस वाद में प्रतिवादित की गयी थी:
  - (a) Pyre singh Vs. State of Punjab 1977 S.C. / प्यारे सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977 सु. को. में
  - (b) Kanpur University Vs Dr. Samir Gupta and others, 1983 S.C. / कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता व अन्य, 1983 सू. को. में
  - (c) Mohd. Zahid Vs. State of U.P. 1999 S.C. / मो. जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1999 स्. को. में
  - (d) Vishnu Vs State 2006 S.C. / विष्णु बनाम राज्य, 2006 सु. को. में

Ans. [b]

- 50 "Opinion of third person" is not relevant to prove which of the following offeneces of Indian Penal Code, 1860, namely / "अन्य व्यक्ति की राय" भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है ?
  - (a) section 299, 495 and 498 / धारा 299, 495 व 498 में
  - (b) section 300, 498 and 499 / धारा 300, 498 व 499 में
  - (c) section 494,495,497 and 498 / धारा 494,495,497 व 498 में.
  - (d) section 399,499,300 and 498 / धारा 399,499,300 व 498 में

Ans. [c]

- "It is the duty of the court to decide the 'case' not the "parties" because a noble man may commit a worst possible crime and a person of easy virtue may have a good cause of action". This statement relates with which provision of law ? / "न्यायालयों" का यह कर्तव्य है कि वे "मामले" को तय करें न कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरा व्यक्ति का अच्छे से अच्छा अधिकार हो सकता है"। यह कथन निम्न में से किस विधि की धारा से सम्बन्धित है ?
  - (a) section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 से
  - (b) section 52,53,54,55 of the Indian Evidence Act, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 52,53,54 व 55 से
  - (c) section 494, 497, 498 of the Indian Penal Code, 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494, 497, 498 से
  - (d) section 292,293,294 of the Indian Penal Code 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 292, 293, 294 से

Ans. [b]

- 52 Which of the following section is, considered as the spinal cord of the civil litigation in India : / निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ?
  - (a) section 105 of the Indian Evidence Act, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 105 को
  - (b) section 91 of the Indian Evidence Act, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 को
  - (c) section 104 of the Indian Evidence Act, 1872) / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 104 को
  - (d) section 92 provison 1 to 6 of the Indian Evidence Act, 1872 - / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के 1 से 6 तक के परन्तुकों को

Ans. [c]

- 53 In which of the following cases the burden of proof of not committing the particular offences is on an accused person and not on the prosecution? / निम्न में से किस मामले में अपराध न किये जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है न कि अभियोजन पर ?
  - (a) Section 111 & 113 of the Indian Evidence act, 1872 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 व 113 में
  - (b) Section 111-A, 113-A. 113-B and 114-A of the Indian Evidence Act, 1872/ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111-ए, 113-ए, 113 बी तथा 114-ए में.
  - (c) Section 111ā, 112 and 113-B of the Indian Evidence Act, 1872- / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111-ए, 112 व धारा 113-बी में
  - (d) Section 111A and 113 A of the Indian Evidence Act, 1872. /भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 ए व धारा 113 -ए में।

Ans. [b]







### : 773 774 6465 www.LinkingLaws.com



A child born even after "vasectomy operation" during continuance of valid marriage between the parties does not affect the legitimacy of the child and the doctor who performed such negligent operation is liable to pay damages to the parties. This view was laid down in / "नसबन्दी के ऑपरेशन" के बाद भी उत्पन्न सन्तान जो पक्षों के बीच मे वैध विवाह के दौरान उत्पन्न हुआ है, उसकी धर्मजता को प्रभावित नहीं करता तथा वह डॉक्टर जिसने उपेक्षापूर्ण ऑपरेशन किया था, पक्षों को क्षति देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गयी थी ?

- (a) PE.K. Kalyani Vs. K. Devi, 1996 S.C. / पी. ई. के. कल्याणी बनाम के देवी, 1996 स्. को. में
- (b) Pawan Kumar Vs Mukesh Kumari, 2001 Raj. / पवन कुमार बनाम मुकेश कुमारी, 2001 राज. में
- (c) Mohd. Farog Vs Dukhtar Jehan Begum, 1987 S.C. / मो. फारूख बनाम दुख्तर जान बेगम, 1987 सु. को. में
- (d) Santro Devi Vs State of Haryana, 2000 S.C.C./ सन्तरो देवी बनाम हरियाणा राज्य 2000 सु.को. के में

Ans. [d]

- 55 Every relevant fact is not necessarily a admissible fact, but every admissible fact is essentially a relevant fact. In which of the following sections of the Indian Evidence Act, 1872, a fact is not admissible, namely / प्रत्येक सुसंगत तथ्य एक ग्राह्य तथ्य नहीं होता किन्तु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं हैं-
  - (a) under section 6 to 55 of the Indian Evidence Act. 1872./ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 से 55 में ।
  - (b) sec. 130, 131, 132 of the Indian Evidence Act, 1872./ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 130,131 व 132 में।
  - (c) sec. 126 to 129 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 से 129 में।
  - (d) sec. 121 to 129 of the Indian Evidence Act, 1872. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 से 129 में

Ans. [d]

- Section 122 of the Indain Evidence Act. 1872 covers 56 -/ धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सम्मिलित होते है
  - (a) Offeneces between husband and wife during continuance of their marriage. / पक्षों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान किये गये अपराधिक कार्य।
  - (b) marital communications during their marriage/ पक्षों के बीच विवाहित स्थिति में दी गयी पारिवारिक ससूचनायें।.
  - (c) Any communication relating to any matter given in any manner during their marriage. / कोई भी ससूचना, जो किसी भी विषय से सम्बन्धित हो, तथा किसी भी प्रकार की हो, विवाहित स्थिति में दिया जाना ।

(d) confidential and legal communications during their marriage. / पक्षों के बीच वैश्वासिक व वैध सूचनायें उनकी विवाहित स्थिति के दौरान ।

Ans. [c]

- A witness cannot be converted into an accused person, though may be compelled to answer questions relating to an offence. Under which section of the Indain Evidence Act, 1872, this immunity is granted to a witness ? / एक साक्षी को अभियुक्त के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है । यद्यपि उससे अपराध के सन्दर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते है । यह विशेषाधिकार उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन-सी धाराओं में प्राप्त है।
  - (a) under section 148 / धारा 148 में
  - (b) under section 163/ धारा 163 में
  - (c) under section 131 / धारा 131 में
  - (d) under section 132 / धारा 132 में

Ans. [d]

- Under what provision of the Evidence Act, 1872 can oral evidence as to prove matters in writing. be given during examination of witness? / लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य, साक्षियों की परीक्षा के दौरान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार दिया सा सकेगा ?
  - (a) section 65 cl ( 1 ) / धारा 65 क्लाज 1 के अनुसार
  - (b) section 114 illustration (g) and (h) / धारा 114 दृष्टान्त (जी) व (एच) के अनुसार
  - (c) section 66 / धारा 66 के अनुसार ।
  - (d) section 144 / धारा 144 के अनुसार ।

Ans. [d]

- To reach at a proper conclusion and for proof of relevant fact, court may ask any question, in any form, at any time to any person or witnesses. This power is conferred to the court under which section of the Indian Evidence Act, 1872 / न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने तथा सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी से किसी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पुछ सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किंस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गयी है :
  - (a) Section 135 and 136 / धारा 135 में व धारा 136 में
  - (b) Section 165 / धारा 165 में
  - (c) Section 148 / धारा 148 में
  - (d) Section 137 / धारा 137 मे

Ans. [b]

- Section 107 of Indian Evidence Act, 1872, provides for presumption regarding/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 किस सम्बन्ध में उपधारणा का प्रावधान करती
  - (a) Life / जीवन
  - (b) Death / मृत्यु
  - (c) Longevity / दीर्घायु

Scan this QR Code to **Linking Laws BIOs** 



#### :773 774 6465 www.LinkingLaws.com



(d) Legitimacy /धर्मजत्व।

Ans. [a]

- 61 Every doctor is not responsible under section 304(A) of the Indian Penal Code 1860, for death of a person due to his negligent operation unless his intention is culpable. This has been laid down in / प्रत्येक डॉक्टर को उसके द्वारा उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किये गये किसी व्यक्ति के ऑपरेशन से मृत्यु पर धारा 304 (A) भारतीय दण्ड संहिता 1860 से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका आशय अपराधिक न हो। यह प्रतिपादित किया गया था:
  - (a) Gyanendar Vs. State, 1972 S.C. / ज्ञानेन्द्र बनाम राज्य, 1972 स.को. में ।
  - (b) Sarveswar Parsad Sharma Vs. State, 1978 S.C. / सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा बनाम राज्य, 1978 सु.को. में ।
  - (c) Jacob Mathew Vs. State of Punjab, 2005 S.C/ जेकब मैत्यु बनाम पंजाब राज्य, 2005 सु.को. में ।.
  - (d) Munna Vs. State, 2005 S.C. / मुन्ना बनाम राज्य, 2005 सु.को. में ।

Ans. [c]

- 62 "A" with intortion of causing the death of a child "B" who is below 12 years, exposes him in a desert place. Here "A" will be liable under which section of the Indian Penal Code, 1860 /"अ" एक 12 वर्ष से कम आयु के बालक "ब" की मृत्यु के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा के अन्तर्गत उसका उत्तरदायित्व होगा
  - (a) Section 317 / धारा 317 में
  - (b) Section 307 / धारा 307 में
  - (c) Section 304 / धारा 304 में
  - (d) Section 511 / धारा 511 में

Ans. [b]

- 63 Which of the following statement with reference to the offence of kidnapping and abduction under Indian Penal Code 1860 is correct / भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन व्यपहरण व अपहरण के अपराध के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है
  - (a) There can not be abduction of a abducted person/ एक अपहरण वाले का अपहरण नहीं हो सकता है।
  - (b) There can be kidnapping of a abducted person / एक अपहरण वाले व्यक्ति का व्यपहरण हो सकता है।
  - (c) There can not be kidnapping of a kidnapped person / एक व्यपहरण वाले व्यक्ति का व्यपहरण नहीं हो सकता
  - (d) There can not be abduction of a kidnapped person/ एक व्यपहरण वाले का अपहरण नहीं हो सकता है।

Ans. [c]

From which of the following person security for good behaviour under section 108 of the Code of Criminal Procedures 1973, can not be demanded/

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 108 में अच्छा आचारण के लिए जमानत की माँग निम्न में से किस से नहीं की जा सकती

- (a) Vagarant and suspected persons / आवारागर्द एवम् संदेहास्पद व्यक्तियों से
- (b) Habitual offenders / आदतन अपराधियों से
- (c) Accused of an offence / एक अपराध के अभियुक्त से
- (d) Persons disseminating seditious matter / ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह की सामग्री प्रचारित करते हैं

Ans. [\*]

- Which provision of the Code of Criminal Procedure 1973 empowers the presiding officer to dispense with the personal attendance of an accused at the time of recording of statement of witnesses?/ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पीठासीन अधिकारी को अधिकार देती है कि वह साक्षियों के बयानों को दर्ज करने के समय अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी दे सकता है ?
  - (a) Section 299 / धारा 299
  - (b) Section 273 / धारा 273
  - (c) Section 205 / धारा 205
  - (d) Section 285 / धारा 285

Ans. [b]

- In a summon case the Magistrate can stop the proceedings at any stage without pronouncing judgement. This has been provided under which section of the Code of Criminal Procedure 1973 / समन मामले में मैजिस्ट्रेट निर्णय सुनाये जाने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कार्यवाही को रोक सकता है। इसका प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में किया गया है
  - (a) Section 258/ धारा 258 में
  - (b) Section 257 / धारा 257 में
  - (c) Section 259 / धारा 259 में
  - (d) Section 268/ धारा 268 में

Ans. [a]

- A driving license issued under Motor Vehicles Act, 1988 by the R.T.O of District Jaipur (Rajasthan) will be effective in / मोटरयान को चलाने की चालन - अनुज्ञप्ति, जो राजस्थान के जयपुर जिले के परिवहन अधिकारी ने मोटरयान अधिनियम 1988 में जारी की है, कहां कहां प्रभावी रहेगी
  - (a) the district of Jaipur / सारे जयपुर जिले के क्षेत्र में
  - (b) all districts of State of Rajasthan/ राजस्थान राज्य के सभी जिलों के क्षेत्र में
  - (c) all adjoinings State of Rajasthan / राजस्थान राज्य के सभी समीपवर्ती राज्यों के क्षेत्र में
  - (d) throughout the India / पूरे भारत में

Ans. [d]

Who of the following is not eligible to be appointed as member of claims tribunal under Motor Vehicles Act, 1988 ? / मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित दावा अधिकरण में निम्न में से किसे सदस्य नियक्त नहीं किया जा सकता ?



- Link Life with Law
- (a) High Court Judge/ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- (b) Supreme Court Judge / उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
- (c) Session Judge / सत्र न्यायाधीश
- (d) Person eligible for appointment as session Judge / सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता रखने वाला व्यक्ति

Ans. [b]

- Who of the following is competent to disqualify 69 from holding a driving license or revoke such license under Motor Vehicles Act, 1988 namely ?/ निम्न में कौन-सा अधिकारी या प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित या प्रतिसंहत करने की शक्ति मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन रखता है ?
  - (a) Licensing authority/ अनुपालन अधिकारी
  - (b) Court. / न्यायायल
  - (c) Governor and President / राज्यपाल या राष्ट्रपति
  - (d) Licensing authority and court / अनुपालन अधिकारी व

Ans. [a]

- 70 When any person is injured or property of a third party is damaged as a result of an accident the duty of the driver, according to Section of 134 Motor Vehicles Act, 1988 is / जब किसी व्यक्ति को मोटरयान की दुर्घटना के कारण क्षति होती है या पर-व्यक्ति (third party ) की सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है, तो मोटरयान के ड्राईवर का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 134 के अनुसार कर्तव्य है
  - (a) firstly to inform to the police about the accident/ सर्व प्रथम उस दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने का ।
  - (b) To take the injured person to nearest hospital for medical treatment/ आहत व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल में चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का।
  - (c) To inform to the family members or relative of the victim of accident/ दुर्घटना से आहत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारो को सूचना देने का ।
  - (d) To take injured immediately for medical help to hospital or registered practitioner and then inform to police about the accident / आहत व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल, चिकित्सीय सहायता प्राप्त कराने तथा पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचना देने का

Ans. [b]

- 71 The principle of "Liability without fault" has been recognized under Motor Vehicles Act, 1988, under" / त्रृटि के बिना दायित्व" के सिद्धांत को मोटरयान अधिनियम 1988 की निम्न में किस धारा में समाहित किया गया है
  - (a) Section 134 /धारा 134 में
  - (b) Section 140 and 141/ धारा 140 व धारा 141 में
  - (c) Section 140 / धारा 140 में
  - (d) Section 135/ धारा 135 में

Ans. [c]

- 72 Who may make an application for claim for compensation arising out of an accident under Motor Vehicles Act, 1988 मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन निर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकेगा
  - (a) Victim of the accident/ दुर्घटना से आहत व्यक्ति के द्वारा
  - (b) His / her family members or relatives / उसके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के द्वारा
  - (c) Victim of accident, owner of damaged property, legal representative of the deceased; duly authorized agent by the victim/ दुर्घटना से आहत व्यक्ति, क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी, दुर्घटना से मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि,/ आहत व्यक्ति के द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के द्वारा.
  - (d) Any member of the public in public interest / जनता के किसी भी सदस्य द्वारा जन हित में

Ans. [c]

- An adulterated food item may also be get analyzed by whom of the following under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 namely/ एक अपमिश्रित खाद्य पदार्थ का विश्लेषण निम्न में किसके द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधिन कराया जा
  - (a) by the food Inspector and purchaser of any article of food as well as by recognized Consumer Association / खाद्य निरीक्षक, खाद्य पदार्थ के क्रेता तथा मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम के द्वारा
  - (b) by the purchaser of any article of food/ खाद्य पदार्थ के क्रेता के द्वारा
  - (c) by the recognized Consumer Association/ मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम के द्वारा.
  - (d) by the distributor and sole selling agent of such food stuff/ खाद्य पदार्थ के वितरक या अभिकर्त्ता द्वारा

Ans. [\*]

- 74 Enhanced punishment for offences may be awarded to an accused person under Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 where / स्वायक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अभियुक्त को अपराध के लिए इस अधिनियम में वर्धित दण्ड दिया जायेगा जहाँ
  - (a) he committed or abetted or conspired any offence under this Act वह व्यक्ति इस /अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है; षडयन्त्र, दुष्प्रेरण या प्रयत्न करता है।
  - (b) he has been acquitted once, but abets another person to commit an offence /वह एक बार दोषमुक्त हो गया है किन्तु पुनः दुष्प्रेरित करता है ।
  - (c) he attempted but could not become successful earlier and subsequently attempt to commit offence under this Act / उसने पूर्व में प्रयत्न किया था किन्तु सफल नहीं हो पाया था परन्तु पुनः इस अधिनियम में अपराध करने का प्रयत्न करता है ॥





### **(**):773 774 6465 www.LinkingLaws.com



Ans. [d]

(d) he has been convicted of commission of the offence or attempt or conspiracy or abetment, and again commits or attempt, or conspire or abets the commission of offence under the Act/ वह इस अधिनियम में अपराध करने या प्रयत्न, या दष्प्रेरण हेत दोषसिद्धि किया जा चुका था, पुनः अपराध करता है, षडयन्त्र में सम्मिलत दुष्प्रेरण या प्रयत्न करता है।

Ans. [d]

- Under the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1885, even death penalty may be imposed on subsequent conviction if the opium seized is above 10 K.G, Heroin about 1 K.G and cocaine 500 grams under which of the following sections / स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की निम्न में किस धारा के अनुसार एक सिद्ध दोष अभियुक्त को पुनः अपराध करने पर मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है जब उसके पास अफीन 10 किलो, हेरोईन 1 किलो तथा कोकीन 500 ग्राम आदी हो
  - (a) Section 31/ धारा 31 में
  - (b) Section 32 /धारा 32 में
  - (c) Section 32-A, B / धारा 32 क-ख में
  - (d) Section 31-A /धारा 31 क में

Ans. [d]

- 76 Neglect of duties by a public servant is punishable with 6 months to 1 year imprisonment under / एक लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन की उपेक्षा पर 6 मास से 1 वर्ष तक कारवास, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया जा सकता है
  - (a) Narcotic Drugs And Psychotropic Act, 1985/ स्वापक औषधी मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
  - (b) Motor Vehicle Act, 1988 / मोटरयान अधिनियम, 1988
  - (c) Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 / अनुसूचित जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  - (d) Food Safety and Standard Act, 2006 / खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

Ans. [c]

- 77 State Governments have power to imposed collective fines also on the violator of laws, under / राज्य सरकारों को विधि का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त या अभियुक्तों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है
  - (a) Indian Police Act, 1861/ भारतीय पुलिस अधिनियम 1861
  - (b) Code of Criminal Procedure 1973 / दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में -
  - (c) Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985/ स्वायक औषधि एवम मनः प्रभावी अधिनियम 1985 में
  - (d) Scheduled Scheduled caste and (Prevention of Atrocities) Act, 1989 / अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में

- A person carrying unauthorized ammunition may be arrested under Arms Act, 1959 by/ आयुध अधिनियम 1959 के अधीन किसी व्यक्ति को जो अनाधिकृत रूप से आयुध या हथियार ले जा रहा है निम्न में से कौन गिरफतार कर सकता है
  - (a) A police officer / कोई पुलिस अधिकारी
  - (b) A magistrate /कोई मैजिस्ट्रेट
  - (c) A private person and public servant / कोई निजी व्यक्ति व कोई भी लोक सेवक
  - (d) A police officer and Magistrate /कोई पुलिस अधिकारी तथा कोई मैजिस्टेट

Ans. [\*]

- Under what provision of law even secret contravention of provisions of Arms Act, 1959 is punishable /आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों का प्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तथा गोपनीय तरीके से उल्लंघन भी निम्न में किस प्रावधान के अधीन दण्डनीय है
  - (a) Section 31 / धारा 31 में
  - (b) Seciton 32 / धारा 32 में
  - (c) Section 30/ धारा 30 में
  - (d) Section 26 /धारा 26 में

Ans. [d]

- Any appeal or revision under section 9 A of the Rajasthan Excise Act 1950 may be preferred by the aggrieved person before / राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9- क के अधीन व पुनरीक्षण निम्न में से किस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी
  - (a) The Divisional Commissioner and Commissioner of Excise / डिविजनल कमिश्नर तथा आबकारी आयुक्त को
  - (b) The Session Court / सेशन न्यायलय को
  - (c) The Commissioner of Excise / आबकारी आयुक्त को
  - (d) The High Court of Rajasthan /उच्च न्यायालय राजस्थान

Ans. [\*]

- Which one of the following is not Ammunition under Arms Act 1959 ? / निम्न में से कौन-सा आयुध अधिनियम 1959 में गोला बारूद नहीं है ?
  - (a) Fuses/ फ्यूजेज
  - (b) Friction tubes / घर्षण ट्यूबस
  - (c) Firearms / आग्नेयास्त्र
  - (d) Rockets / राकेटस

Ans. [c]

- 82 Which provision of Arms Act, 1959 prohibits the sale or transfer of firearms not bearing identification marks?/ आयुध अधिनियम, 1959 की कौन-सी धारा ऐसे आग्नेयास्त्र का हस्तान्तरण और बेचान को प्रतिबन्धितं करता है जिन पर पहचान चिह्न न लगे हो
  - (a) Section 6 / धारा 6

Scan this

QR Code to

**Linking Laws BIOs** 

⑥ (?) ♥ Linking Laws Linking Laws Tansukh Sir mww.LinkingLaws.com **<u>©</u>** Get Subscription Now

12

#### :773 774 6465 www.LinkingLaws.com

- (b) Section 7 / धारा 7
- (c) Section 8/ धारा 8
- (d) Section 9 / धारा 9

Ans. [c]

- 83 The licencing authority while issuing licence under section 3 of the Arms Act, 1959 shall grant the licence for a period of / आयुध अधिनियम की धारा 3 के अधीन लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा जारी लाईसेंस कितने समय तक के लिये स्वीकार किया जाता है ?
  - (a) three years/ तीन वर्ष
  - (b) five years/ पाँच वर्ष
  - (c) one year / एक वर्ष
  - (d) two years /दो वर्ष

Ans. [a]

- 84 On demand by any police officer the person refuses to give his name and address or gives false name and address such officer may arrest him, it has been provided by the Arms Act, 1959 under/ पुलिस अधिकारी के कहने पर कोई व्यक्ति अपना नाम व पता बताने से इन्कार करता है अथवा गलत नाम व पता बताता है तो वह पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है, इसका प्रावधान आयुध अधिनियम 1959 की निम्न धारा में किया गया है
  - (a) Section 19 (1) / धारा 19 (1) में
  - (b) Section 20 / धारा 20 में
  - (c) Section 19(3) /धारा 19 (3) में
  - (d) Section 19(2) / धारा 19 (2) में

Ans. [c]

- 85 Search and seizure under the Arms Act, 1959 can be carried out by / निम्न में से किस एक के द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 के तहत तलाशी एवं जब्ती की जा सकती है ?
  - (a) Magistrate/ मैजिस्ट्रेट द्वारा
  - (b) Superintendent of Police/ पुलिस अधिक्षक द्वारा
  - (c) Officer Incharge of the Police Station/ थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा
  - (d) Superintendent of C.B.I./केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अधिक्षक द्वारा

Ans. [a]

- 86 A person who not being a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes forces a member of Scheduled Caste to leave his house or place of residence, shall be punishable with imprisonment for a term : / एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का नहीं है वह, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसका घर अथवा रहवास की जगह छोड़ने को बाध्य करता है तो उसके लिये कितनी सजा का प्रावधान है
  - (a) not less than 1 year/ कम से कम एक वर्ष की
  - (b) not less than 6 months/ छः महिने से कम नहीं
  - (c) not less than 2 year/ दो वर्ष से कम नहीं
  - (d) not less than 3 year/ तीन वर्ष से कम नहीं

Ans. [b]

- 87 A public servant not being a member of Scheduled Castes or scheduled Tribes willfully neglects his duties required to be performed by him under the Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than/ एक लोक अधिकारी जो अनुसूचित जाति एवं जन जाति का नहीं है जानबुझ कर इस अधिनियम के तहत प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करने में कोताही बरतता है तो उसे कम से कम कितनी सजा हो सकतीं है
  - (a) 3 months / तीन महीने
  - (b) 1 month/ एक महीना
  - (c) 6 months/ छः महीने
  - (d) 1 year/ एक वर्ष

Ans. [c]

- Provisions of section 438 of Criminal Procedure Code, 1973 will not be applicable to persons committing offence under the Act. This has been provided by which section of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989/ अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के तहत अपराध करता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधान लागू नहीं होगी, का प्रावधान किस धारा के तहत किया गया है
  - (a) Section 17/ धारा 17
  - (b) Section 18/ धारा 18
  - (c) Section 19/ धारा 19
  - (d) Section 16/ धारा 16

Ans. [b]

- Any person contravening an order of the special court made under section 10 of S.C. and ST. (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall be punishable. with imprisonment for a term which may extend to/ कोई भी व्यक्ति जो विशिष्ट न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 10 के तहत दिये गये आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कितने समय तक की सजा दी जा सकती है
  - (a) one year and with fine / एक वर्ष एवं जुर्माना
  - (b) with fine only up to ₹ 10,000/- /10,000 ₹ का जुर्माना
  - (c) one year or fine up to ₹20,000/- / एक वर्ष की सजा या 20,000 ₹ का जुर्माना
  - (d) one year only/ मात्र एक वर्ष की सजा

Ans. [b]

- Which one of the following is not the duty of Government even while implementing effectively the provisions of S.C. and S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989?/ निम्न में से कौन-सा राज्य के दायित्व की श्रेणी में नहीं आता यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य का दायित्व है
  - (a) The provision for legal aid / विधिक सहायता का प्रावधान

Scan this

QR Code to

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

## ©:773 774 6465 www.LinkingLaws.com

e E

- (b) Maintenance of expenses to witnesses / गवाहों के रखरखाव का खर्चा
- (c) Economic and Social rehabilitation/ सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास
- (d) To open the school in the area/ इलाके में स्कूल खोलना
- 91 Excisable goods found in the possession of the one of the following will be presumed to be in the possession of the person according to Rajasthan Excise Act, 1950 / राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार यदि आबकारी योग्य वस्तु अगर निम्न में से किसी एक के कब्जे से प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि वह उस व्यक्ति के ही कब्जे में थी अगर वह वस्तु :
  - (a) if found in the possession of his wife /उसकी पत्नी के कब्जे से मिली हो
  - (b) if found in the possession of his clerk / उसके लिपिक के कब्जे से मिली हो
  - (c) if found in the possession of his servant / उसके नौकर के कब्जे से मिली हो
  - (d) all the above / उपरोक्त सभी

Ans. [d]

- 92 The period of limitation for filing an appeal against the order of excise commissioner under Rajasthan Excise Act, 1950 is / आबकारी कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में समय सीमा है:
  - (a) 30 days / 30 दिन
  - (b) 45 days / 45 दिन
  - (c) 60 days / 60 दिन
  - (d) 90 days / 90 दिन

Ans. [c]

- 93 Which one of the following is not a condition which can be imposed by State Government for transport and export of excisable goods, under Rajasthan Excise Act, 1950, unless ? / राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत आबकारी योग्य वस्तु के निर्यात और परिवहन के लिये राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली निम्न में से कौन-सी शर्त नहीं लगाई जा सकती ?
  - (a) fee fixed under section 28 is paid. / धारा 28 के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क जमा करवाना...
  - (b) undertaking for payment of fee under section 28 has been given / धारा 28 के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क जमा करवाने का बंधक पत्र दिया जाना
  - (c) payment made to the manufacturer / उत्पादक को पूरा भूगतान करना
  - (d) special permission from State Govt. has been taken / राज्य सरकार का विशेष अनुमति पत्र प्राप्त किया जाना

Ans. [c]

- 94 Control of packaging and labeling of food is done under / खाद्यों के पैकेजिंग व लेबल लगाने की क्रिया को नियन्त्रण किया जाता है
  - (a) The copy Right Act 1957/ प्रतिलिप्यधिकार ( कापीराइट) अधिनियम, 1957 में
  - (b) The Consumer Protection Act, 1986 / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में
  - (c) The Commercial Documents Evidence Act, 1939 / व्यापारिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम, 1939 में
  - (d) The Food Safety and Standards Act, 2006 / खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 में

Ans. [d]

- 95 There should be a "Food Analyst", to check, examine, determine and decide the quality, safety, hygienic conditions of any food or fooditems. Hence, the provision of a Food Analyst, has been made under / खाद्य की मानक, सुरक्षा, स्वास्थ्यकर दशाओं का परीक्षण, निरीक्षण व निर्णय करने हेतु एक खाद्य विश्लेषक होगा। अतः खाद्य विश्लेषक का प्रावधान किया गया है ?
  - (a) Consumer Protection Act, 1986 / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में
  - (b) Prevention of Food Adulteration Act, 1954 / खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम. 1954 में
  - (c) Indian Penal Code, 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 में
  - (d) Food Safety and Standards Act, 2006 / खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में

Ans. [d]

- 96 Section 16 of Excise Act, 1950 prescribes the list of acts which are prohibited. The provisions of punishment for their violation have been made under / आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16 उन कृत्यों का वर्णन करती है जो निषद्ध है। इनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है ?
  - (a) Section 54 / धारा 54 में
  - (b) Section 58 / धारा 58 में
  - (c) Section 60 / धारा 60 में
  - (d) Section 58 (a) / धारा 58 (a) में

Ans. [a]

- 97 Punishment for giving false information has been made punishable under / मिथ्या सूचना देना दण्डित किया गया है ?
  - (a) Section 177. of Indian Penal Code, 1860 / भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 177 में
  - (b) Prevention of Food Adulteration Act, 1954 / खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में
  - (c) Section 61 of Food Safety and Standards Act, 2006 / खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 में
  - (d) Section 177 Indian Penal Code, 1860 section 177 as well as, under section 61 of Food Safety and



Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Standards Act, 2006 / भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 में

Ans. [d]

(c) Section 11 / धारा 11 (d) Section 14 / धारा 14

Ans. [c]

- 98 Enhanced punishment may be awarded for commission of a crime by a person under / किसी व्यक्ति के द्वारा किये गये अपराध पर वर्द्धित (Enhanced ) दण्ड निम्न में किस धारा के अन्तर्गत अधिरोपित किया जा सकता है
  - (a) Section 75 of the Indian Penal Code, 1860 / धारा 75 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में
  - (b) Prevention of Food Adulteration Act, 1954, under section 21 / खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 21 में
  - (c) Food Safety and Standards Act, 2006, under section 79 / खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 79 में
  - (d) All the above Acts / उपरोक्त सभी में

Ans. [\*]

- 99 There is no need of physical connection between the goods and person charged under Narcotic Drugs And Psychotropic Subastance Act, 1985. It is sufficient if it is proved that he was involved in illegal importation of goods, he would be guilty of the offence. This was laid down by the Supreme Court in / स्वापक औषधी मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन एक आरोपित अपराधी एवं सामग्री के बीच सीधा वास्तविक सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। अगर यह साबित कर दिया जाय कि उक्त सामग्री में उनका हित निहित है तो वही पर्याप्त है, इस अपराध के लिये उसे सजा दिलाने के लिये उच्चतम न्यायालय ने यह किस वाद में प्रतिपादित किया
  - (a) Radha Kishan Vs. Union of India, AIR 1965 SC 1072 / राधा किशन बनाम भारत संघ, ए.आई. आर. 1965 सु.को. 1072
  - (b) Narvir Chand Vs. State (1952) Cr L.J. 246 / नरवीर चन्द बनाम राज्य, (1952) क्रि. लॉ. ज. 246
  - (c) Dr. Pratap Singh Vs. Director of Enforcement, AIR 1985 SC 989 / डॉ. प्रताप सिंह बनाम निर्देशक एनफोर्समेन्ट, ए. आई. आर. 1985 सु.को. 989
  - (d) Ali Mustafa Abdul Rehman Moosa Vs. State of Kerala, AIR 1995 SC 244 / अली मुस्तफा अब्दुल रहमान मूसा बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर 1995 सु.को. 244

Ans. [d]

- 100 The Provision that "narcotic drugs and psychotropic substance etc. not liable to distress or attachment" has been provided under which section of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 /" स्वापक औषधी एवं मन प्रभावी पदार्थ इत्यादि न तो कुर्क किये जा सकते हैं और न ही करवस्थ" इसका प्रावधानं स्वापक औषधी मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 की कौन-सी धारा के अन्तर्गत किया गया है ?
  - (a) Section 12 / धारा 12
  - (b) Section 13 / धारा 13



